इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2019—आश्विन 17, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-2-9-13-बाईस-पी-1.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 69 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त 2018 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:—

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उप—नियम (5) में, शब्द "साठ वर्ष" के स्थान पर, शब्द "बासठ वर्ष" स्थापित किया जाए।

2. अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"अनुसूची—एक

(नियम 4 देखिए)

ग्राम पंचायत सचिव का वर्गीकरण तथा वेतनमान

अनुक्रमांक	पद का नाम जिस पर नियुक्ति की जानी है	मानदेय/वेतनमान तथा यात्रा भत्ता	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ग्राम पंचायत सचिव	(क) नव नियुक्त पंचायत सचिव को दो वर्ष तक रूपए 10,000/— प्रतिमाह की दर से मानदेय का	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।"।

(1)	(2)	(3)	(4)
		भुगतान किया जाएगा और दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् नियमित वेतनमान रूपए 5200–20200 + 1900 ग्रेड वेतन का हकदार होगा। (ख) पंचायत सचिव जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है वह 5200–20200 + 2400 ग्रेड वेतन के वेतनमान का हकदार होगा। (ग) पंचायत सचिव को 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान किया जाएगा, जो जुलाई में देय होगी। (घ) वह रूपए 250/– प्रति माह की दर से नियत यात्रा भत्ता का हकदार होगा।"।	

No. F-2-9-13-XXII-P-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary, Recruitment and conditions of Service) Rules, 2011, which has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 14th August 2018 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act namely:—

In the said rules,-

1. In rule 6, in sub-rule (5), for the words "sixty years" the words "sixty two years" shall be substituted.

2. For Schedule-I the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule-I

(See rule 4)

Classification and Pay Scale of the Gram Panchayat Secretary

S.No.	Name of post to which appointment to be done	Honorarium/Pay Scale and Travelling Allowance	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gram Panchayat	(a) Newly appointed Panchayat Secretary	Chief Executive

(1)	(2)	(3)	(4)
	Secretary	shall be paid Honorarium at the rate of Rs. 10000/- per month till two years and after completing of two years satisfactory service he shall be entitled to the regular pay Scale of Rs. 5200-20200 Plus Rs. 1900/- Grade pay. (b) The Panchayat Secretary who has completed Ten years regular Service shall be entitled to pay Scale of 5200-20200 Plus 2400/- Grade pay. (c) The panchayat Secretary shall be paid annual increment at the rate of 3 Percent which shall be payable in July. (d) He shall be entitled to fixed travelling allowance at the rate of Rs. 250/- Per month.	Officer Zila Panchayat.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.